हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/3/23	~~वकील वादी~~ ...उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 20/3/23 की पालना में पत्रावली वास्ते कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 27/6/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
27/6/23	वकील वादी उपस्थित। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार से तैयार होकर पेश हुई। शा०मि० की गई। पत्रावली व कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10/7/23 को पेश हो SDM	
10/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तदानुसार पृथक डिक्री जारी हो निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 338 / 2022

वउनवान

1. यादराम पुत्र श्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलंवर।
2. उप पंजीयक महोदय खेरलीमण्डी।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर (लैण्ड होल्डर)

प्रतिवादीगण

श्री कृपादयाल गुर्जर –अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.07.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है आराजी ख़सरा नम्बर 11 रकवा 0.42 हे. 182 रकवा 0.65 हे. 185 रकवा 0.04 हे. 273 रकवा 0.35 हे. 37 रकवा 0.61 हे. 566 रकवा 0.32 हे. 570 रकवा 0.32 हे. 653 रकवा 0.35 हे. 96 रकवा 0.46 हे. व खसरा नम्बर 1276 रकवा 0.44 हे. 1289 / 1463 रकवा 1.60 हे. 1291 रकवा 0.65 हे. ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है जिस आराजी में वादी व प्रतिवादी सं0 1 का 1 / 2–1 / 2 हिस्सा हैलेकिन उक्त आराजी का आज से करीब 40–50 साल पहले वादी एंव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से व स्वेच्छा से अपनी अपनी सुविधानुसार मौका एंव कब्जा के अनुसार घरू वंटवारा कर लिया था जिस पर वाद घरू वंटवारा से वादीअपने हक हिस्सा व घरू वंटवारा की आराजी पर काविज रहकर काश्त रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व दिनांक 22.12.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 28.03.2023 को दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 27.06.2023 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम पीपलखेडा,प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम सालवाडी की सत्यप्रतिलिपी प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में गवाह स्वय वादी यादराम पी डब्ल्यू 1 व गवाह राजपाल पी डब्ल्यू 2 के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है।

हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व तहसीलदार कठूमर की कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट मेंआंराजी खसरा नम्बर 11 रकवा0.42 हे. 96 रकवा 0.46 हे. 273 रकवा 0.35 हे., 570 रकवा 0.32 हे. किता 4 रकवा 1.55 हे. वादी यादराम की व खसरा नम्बर 37 रकवा 0.61 है. 182 रकवा 0.85 हे. 185 रकवा 0.04 हे. 566 रकवा 0.32 हे. 653 रकवा 0.35 हे. किता 5 रकवा 1.97 हे. वाके ग्राम पीपलखेड़ा प्रतिवादी बाबूलाल को व खसरा नम्बर 1289/1463/1 रकवा 1.56 हे. वादी यादराम को व खसरा नम्बर 1289/1463/2 रकवा 0.04 हे. 1276 रकवा 0.44 हे. 1291 रकवा 0.65 हे. किता 3 रकवा 1.13 हे. वाके ग्राम सालवाडी प्रतिवादी बाबूलाल सा0 देह खातेदार तकसीम में दिये है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 11 रकवा0.42 हे. 96 रकवा 0.46 हे. 273 रकवा 0.35 हे. 570 रकवा 0.32 हे. किता 4 रकवा 1.55 हे. वादी यादराम को व खसरा नम्बर 37 रकवा 0.61 हे. 182 रकवा 0.85 हे. 185 रकवा 0.04 हे. 566 रकवा 0.32 हे. 653 रकवा 0.35 हे. किता 5 रकवा 1.97 हे. वाके ग्राम पीपलखेडा प्रतिवादी बाबूलाल को व खसरा नम्बर 1289/1463/1 रकवा 1.56 हे. वादी यादराम को व खसरा नम्बर 1289/1463/2 रकवा 0.04 हे. 1276 रकवा 0.44 हे. 1291 रकवा 0.65 हे. किता 3 रकवा 1.13 हे. वाके ग्राम सालवाडी प्रतिवादी बाबूलाल सा0 देह पीपलखेडा खातेदार तकसीम में दिये तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज करे। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 10.07.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/338/2022

बउनवान

1. यादराम पुत्र श्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

डिक्रीदारान्

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री रघुवीर जाति गुर्जर निवासी पीपलखेडा तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. उप पंजीयक महोदय खेरलीमण्डी।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहव कठूमर (लैण्ड होल्डर)

मदयूनान्

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादी सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 11 रकवा 0.42 हे. 96 रकवा 0.46 हे. 273 रकवा 0.35 हे. 570 रकवा 0.32 हे. किता 4 रकवा 1.55 हे. वादी यादराम को व खसरा नम्बर 37 रकवा 0.61 हे. 182 रकवा 0.85 हे. 185 रकवा 0.04 हे. 566 रकवा 0.32 हे. 653 रकवा 0.35 हे. किता 5 रकवा 1.97 हे. वाके ग्राम पीपलखेडा प्रतिवादी बाबूलाल को व खसरा नम्बर 1289/1463/1 रकवा 1.56 हे. वादी यादराम को व खसरा नम्बर 1289/1463/2 रकवा 0.04 हे. 1276 रकवा 0.44 हे. 1291 रकवा 0.65 हे. किता 3 रकवा 1.13 हे. वाके ग्राम सालवाडी प्रतिवादी बाबूलाल सा0 देह पीपलखेडा खातेदार तकसीम में दिये तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज करे। रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर दर्ज करें।

आज दिनांक 10.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(लाखनसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)